


9- स्मॉक एक्सट्रैक्शन सिस्टम :- भवन में स्मॉक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

10-एग्जिट साईनेज :- सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर एग्जिट साईनेज प्राविधानित है।

11-पी0ए0 सिस्टम :- सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम प्राविधानित है।

आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन में संलग्न मानचित्र के अतिरिक्त भवन निर्माण की स्थिति में एन0बी0सी0 2005 एवं भवन व विकास उपविधि 2008 के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था कराया जाना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबन्धों एवं अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र भूतेश्वर, मथुरा एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 एवं भवन व विकास उपविधि 2008 उ0 प्र0 में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की दशा में प्रबन्धक/मालिक ओमेक्स लिमिटेड, छटीकरा- वृन्दावन रोड, वृन्दावन, मथुरा को भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आशय से निर्गत किया जाता है कि भवन निर्माण के पश्चात् एवं प्रयोग में लाने से पूर्व उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से कराकर जनहित में पूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं प्रबन्धक की होगी। यदि निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
(रामसनेही)

उपनिदेशक फायर सर्विस,  
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा।
2. सचिव, मथुरा - वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
3. अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र, भूतेश्वर, मथुरा।